

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 142 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रा0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	शंकर लाल, प्रा0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 रिस्ती, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 जामलाखाल, कोट	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 3487-98 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/०४बे०स्था०/ 144 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक 25 जून 2018
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सुकन्या थपलियाल, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० चमराड़ा, खिर्सू	रा०उ०प्रा०वि० कटूली, खिर्सू	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

पू०सं०/०४ बे०स्था०/ 3512-23 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

(के०एस०रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/०४बे०स्था०/ 143 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मोहन सिंह, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मित्रग्राम, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० रीशी, पाबौ	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्था०/ 3499-3511 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 148 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	शकुन्तला इष्टवाल, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 जोगीमढ़ी, बीरौंखाल	रा0प्रा0वि0 नन्दाखाल, एकेश्वर	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 2560-71 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 150 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रामचन्द्री रावत, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 सतीचौड़, दुगड़डा	रा0प्रा0वि0 मासों, एकेश्वर	
2	पदमा मवोड़ी, प्र0अ0	रा0प्रा0वि0 बलोड़ी, खिसू	रा0प्रा0वि0 पिलखेरा, एकेश्वर	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा, अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्था0/ 3584-95 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्था०/ 149 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सारती चौहान, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मटेला, बीरौखाल	रा०प्रा०वि० बिजनी बड़ी, यमकेश्वर	
2	निर्मला रतूड़ी, प्र०अ०	रा०प्रा०वि० खोन, कोट	रा०प्रा०वि० स्वीत, खिर्सू	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्था०/ 3572-82 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 145 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	ओमप्रकाश लखेड़ा, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 सीला, यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 केवर्स, पौड़ी	
2	बीरेन्द्र सिंह पंवार, स0अ0, अंग्रेजी	रा0उ0प्रा0वि0 खरीक टाटरी, द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 फतेहपुर, दुगड़डा	
3	वेदप्रकाश, स0अ0, हिन्दी	रा0उ0प्रा0वि0 दुंगा, यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 सिमारखाल, एकेश्वर	
4	सतीशचन्द्र मैन्दोलिया, स0अ0, हिन्दी	रा0आ0उ0प्रा0वि0 मजेडा भरतपुर, नैनीडांडा	रा0उ0प्रा0वि0 स्यूसी, बीरौखाल	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्था0/3524-35 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)

पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/०४बे०स्था०/ 147 /स्थाना०/2018-19 दिनांक 25 जून 2018
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	लीलावती नेगी, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० आमसौड़, दुगड़डा	रा०उ०प्रा०वि० बछेली, एकेश्वर	
2	मन्जू नेगी, स०अ०, हिन्दी	रा०उ०प्रा०वि० घारी, कल्जीखाल	रा०उ०प्रा०वि० पांग, पाबौ	
3	राजकुमारी चमोली, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० खोला, खिर्सू	रा०उ०प्रा०वि० मलगांव, द्वारीखाल	
4	आशा देवी, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० ल्वाली, पौड़ी	रा०उ०प्रा०वि० नन्दाखाल, कल्जीखाल	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

पू०स०/०४ बे०स्था०/ 3548-59 /स्थाना०/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 146 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 मे दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रामनरेश यादव, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 डियूल्ड, एकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 जुवा, दुगड़डा	
2	शशि भूषण, स0अ0, अंग्रेजी	रा0उ0प्रा0वि0 सिण्डी, पौड़ी	रा0उ0प्रा0वि0 धनचड़ा, कोट	
3	सोबन सिंह लिंगवाल, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 ऐंठी, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 कटूडबड़ा, द्वारीखाल	
4	राजेश्वरी पुण्डीर, स0अ0 विज्ञान	रा0उ0प्रा0वि0 जसपुर कोलडी, कल्जीखाल	रा0क0उ0प्रा0वि0 त्वाली, पौड़ी	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्था0/ 2536-47 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४बे०स्था०/ 151 /स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-10 एवं 17(1)ग में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	इमरान अहमद, स०अ०	रा०प्रा०वि० मंज्याडी, दुगड़डा	रा०प्रा०वि० डांण्डा मल्ला, एकेश्वर	
2	सरिता कण्डियाल, स०अ०	रा०प्रा०वि० थमाणा, कोट	रा०प्रा०वि० श्रीखोन, कोट	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्था०/ 3596-3607/स्थाना०/२०१८-१९ दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल ।

आदेश संख्या/04बे०स्थाप०/ 153 /स्थाना०/2018-19 दिनांक 25 जून 2018

कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-7 एवं 17(1)क में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	गोदाम्बरी बिष्ट, स०अ०	रा०आ०प्रा०वि० सुखरौं, दुगड़डा	रा०प्रा०वि० रैसोली, एकेश्वर	
2	मधु ध्यानी, स०अ०	रा०प्रा०वि० आमसौड़, दुगड़डा	रा०प्रा०वि० उमल्दा, दुगड़डा	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के०एस०रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

पू०सं०/04 बे०स्था०/3620-31 /स्थाना०/2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)

पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 152 /स्थाना0/2018-19 दिनांक 25 जून 2018
कार्यालय आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार एवं शासनादेश संख्या-140/XXX(2)/18/30(13)/2018 दिनांक 25 मई 2018 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में अधिनियम की धारा-13 एवं 17(1)ख में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नांकित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0 रा0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	रमेशचन्द्र, स0अ0	रा0प्रा0वि0 कोटा, एकेश्वर	रा0प्रा0वि0न0क्ष0न0-04 कोटद्वार, दुगड़डा	
2	चन्द्रप्रभा, स0अ0	रा0प्रा0वि0 मथगांव, द्वारीखाल	रा0प्रा0वि0 हल्दूखाता, दुगड़डा	
3	मुकेश, स0अ0	रा0प्रा0वि0 खण्ड म0, थलीसैंग	रा0प्रा0वि0 कुम्भीचौड़, दुगड़डा	

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(के0एस0रावत)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

पू0सं0/04 बे0स्थाप0/ 3608-19 /स्थाना0/2018-19 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)
पौड़ी गढ़वाल।

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा देहरादून।

पत्रांक/०४बे०स्थाप०/ 3670 /स्थानान्तरण आदेश/2018-19/दिनांक, 25 जून 2018
विषय:- उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानों
के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों के आदेश प्रेषण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक 2017 के प्राविधानानुसार जनपद में प्रारम्भिक शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत स०अ०/प्र०अ० रा०प्रा०वि०, स०अ०/प्र०अ० रा०उ०प्रा०वि० तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के स्थानान्तरण आदेश इस अनुरोध के साथ आपकी सेवा में प्रेषित किये जा रहे हैं कि आप उक्त आदेशों को विभागीय बेवसाईट पर प्रकाशित कराने की कृपा कीजिएगा।

संलग्नक :- स्थानान्तरण आदेश।

भवदीय
(के०एस०रावत) 25/6/18
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
पौड़ी गढ़वाल।